संख्या – 2773 / 1–10–2009–12(25) / 2003

प्रेषक,

एस0 एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर, मऊ, उन्नाव एवं फैजाबाद।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 20 अगस्त, 2009

विषयः लम्बित नाव किराये के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में निम्नांकित जनपदों में लगायी गयी नाव के लम्बित किराये के भुगतान के लिए कुल धनराशि रू0 13,08,815/– (रूपये तेरह लाख आठ हजार आठ सौ पन्द्रह मात्र) अग्रलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	जनपद का नाम	पत्र संख्या व दिनांक	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	गाजीपुर	2427 / 13–आपदा / 2009–10, दि0 20.07.09	219775.00
2	मऊ	1331 / आपदा–मऊ / 09, दि0 10.06.09	229100.00
3	उन्नाव	332 / सी0आर0ए0–5 / नाव किराये के भुगतान, दि0 01.08.09	386550.00
4	फैजाबाद	1407 / सी0आर0ए0–13(राहत) / 2009–10, दि0 19.08.09	473390.00
		कुल योग :	**1308815.00**

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245–प्राकृतिक

विपत्तियों के कारण राहत--आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. विगत वर्ष के लम्बित नाव किराये के धनराशि का भुगतान शासनादेश संख्या–3289/1–10–2007–12(25)/03–टीसी–1, दिनांक 21 जुलाई, 2008 में उल्लिखित शर्तों के अधीन व्यय की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008–14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रू0 2000/–तक की धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रू0 2000/–से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. शासनादेश संख्या–5475/1–10–2008–12(25)/2003, दिनांक 15.12.2008 में उल्लिखित दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष के लम्बित नाव किराया मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय/वितरण तत्समय प्रचलित/प्रभावी एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार **10 दिन में अनिवार्य रूप से** कर दिया जाय।

6. लम्बित नाव किराया की धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय, धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित धनराशि की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http/rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें **दिनांक 10 फरवरी, 2010 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।**

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या – 2773(1)/1–10–2009–12(25)/2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी, आजमगढ़, लखनऊ एवं फैजाबाद मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, गाजीपुर, मऊ, उन्नाव एवं फैजाबाद।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।